

FORM NO -III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत कलक्टर, मुकाम नागौर

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थी
1. रूधाराम पुत्र राजूराम 2. पेमाराम पुत्र राजूराम 3. किरताराम पुत्र राजूराम 4. चम्पा पत्नी राजूराम 5. नारायणराम पुत्र कोजाराम 6. पुरखाराम पुत्र कोजाराम 7. भेराराम पुत्र रेवतराम 8. चन्दणी पत्नी रेवतराम		तहसीलदार खींवसर जिला नागौर।
जातियान जाट निवासीगण खड़काली तहसील खींवसर जिला नागौर।		

किस्म मुकदमा राजस्व स्थगन प्रार्थना पत्र - 78 सन् 2017

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
28.12.17	<p>प्रार्थी ने अपील धारा 225 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत तहसीलदार खींवसर के द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या-12/2017 ग्रामीण खड़काली बनाम रूधाराम वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 13.12.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील के साथ यह स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थना दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थी जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक 25.01.2018 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i> जिला कलक्टर, नागौर</p>	
25-1-18	<p>प्रार्थी उपरोक्त अपील का नोटिस कर मामल शा.वि. है। अप्रार्थी भी उक्त से राजस्व तहसीलदार उपरोक्त पत्रावली प्रील अपील के साथ दिनांक 12-2-18 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i> कलक्टर, नागौर</p>	
12-2-18	<p>वकुलाय उपरोक्त पत्रावली प्रील अपील के साथ 15-2-18 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i> कलक्टर, नागौर</p>	
15-2-18	<p>वकुलाय उपरोक्त इस स्थगन प्रार्थना पत्र से संबंधित मूल अपील फैसला हो जाने से अब इस प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं रहा है। अतः प्रार्थीगण के इस स्थगन प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं रह जाने से यह स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसला सुनार दोहर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i> कलक्टर, नागौर</p>	